संख्या-745/2017/1624/22-2-2016-17(22)/2001

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगीरथ सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, निवासी- जनपद- बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34884/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक -12-09-2016 दिनांक 26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी भगीरथ सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, निवासी- पचकौरी, थाना-पैलानी, जनपद- बांदा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन की पुरानी रंजिश को **लेकर दिनांक 15-04-1981 को बन्दी अपने 03 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी व करौली** से 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-194/1982 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 28-11-1997 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15-12-1998 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2016 तक 22 वर्ष, 01 माह, 20 दिन की अपरिहार एवं 27 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या पर विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी भगीरथ सिंह (बन्दी संख्या-7122/02) पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, निवासी जनपद-बांदा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-745/2016/1624/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद ।
3- निजी सचिव मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in